**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 739**
**गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## विमान दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समिति का गठन

**739. श्री इटेला राजेंदर:**
**श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**
**श्रीमती डी. के. अरुणा:**
**एडवोकेट अदूर प्रकाश:**
**श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान एआई-171 की दुर्घटना की जांच करने और उक्त दुर्घटना की पृष्ठभूमि में विमान दुर्घटनाओं से निपटने के लिए "व्यापक दिशानिर्देश" का सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति/कार्य बल का गठन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की वर्तमान स्थि ति क्या है और इसकी रिपार्टों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ति परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु इस तरह की समर्ति कब तक गठति की जाएगी;
(घ) क्या उक्त समि ति भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर ध्यान केंद्रि त करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित समर्ति संबंधित संगठनों द्वारा की जा रही अन्य जांचों को प्रतिस्थापित नहीं करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या 12.6.2025 को अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना के समय बचाव-कार्यों में कोई कमी थी जिसके कारण सरकार को ऐसा पैनल गठति करना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (च): एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 की घटना के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाने हेतु 13.06.2025 केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में को एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

समिति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना और उपयुक्त मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना।

2) ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों, प्रचालन संबंधी सुधारों और प्रशिक्षण संवर्द्धन संबंधी सुझाव देना।

3) बचाव कार्यों सहित विभिन्न हितधारकों (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) की आपातकालीन प्रतिक्रिया और उनके बीच समन्वय का आकलन करना।

भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति संबंधित संगठनों द्वारा की जा रही अन्य जाँचों का स्थान नहीं लेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएँ तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

*****